

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/सांवि०पदा०-198/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० कुसुम शर्मा, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा विभागीय पत्रांक-75(3) दिनांक-31.01.2025 के आलोक में विदेश यात्रा हेतु दिनांक-04.03.2025 से 16.05.2025 तक कुल-74 (चौहत्तर) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को महालेखाकार, बिहार, पटना के पत्रांक-LR: 240620250200289 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 230 के आलोक में उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-198/2025- 1321/2 पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/विभागाध्यक्ष, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० कुसुम शर्मा, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पी०एस०एम० विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।